न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 176/15 निर्णय दिनांक :– 3.10.18

उनवान

1. भोजराज उर्फ भोज्या पुत्रान भूरा जाति लोधा निवासी जयसिहंपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1 लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा

2 मूली पत्नी लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति लोधा निवासी जयसिहंपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर ।

3 सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अधीन धारा 88 व 188 रा0 टी0 एक्ट

वादी ने वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी खसरा नं0 232 रकबा 17 बिस्वा गे0 मु0 रास्ता रहा जिसके

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हाल खसरा नं0 1080 रकबा 0.04 हे0 तथा खसरा नं0 1267 रकबा 0.19 हे0 वाके ग्राम जयसिहंपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर मे स्थित है। साबिक आरांजी खसरा नं 232 वर्तमान खसरा नं० 1080 रकबा 0.04 हे0 को वादी अर्सदराज से रास्ते के रूप मे काम लेता है, तथा अपनी कृषि भूमि मे जाने एवं कूर्षि कार्यो मे भी उक्त भूमि को उपयोग मे लेता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियो एवं आवटन सलाहकार समिति के सदस्यों को भुलावे मे रखकर बेईमानी कपट पूर्वक तयाकयित खसरा नं0 1080 एवं 1267 को दिनांक 4/6/2002 को आवण्टित करवा लिया जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थी ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय मे आवण्टन आदेश को चुनोती दी, तथा माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28/6/2005 को खसरा नम्बर 1080 का आवण्टन निरस्त करा दिया। आदेश दिनांक 28/6/2005 की बखूबी जानकारी प्रतिवादी को रही उसके बावजूद भी प्रतिवादी 1 व 2 ने प्रतिवादी 3 के समक्ष खातेदारी का आवेदन किया, तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने ना0 सं0 388 दिनांक 2/12/2010 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कमे तस्दीक कर दिया। वर्तमान मे जमीनो के भाव बढ़ने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बेईमानी पूर्वक कराये गये आवण्टन के निरस्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते है, तथा बेचान करने की धमकिया देते है। दिनांक 13/05/2015 को प्रतिवादी 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि प्रोपर्टी डीलर्स एवं दीगण व्यक्तियो

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

को दिखाई, तथा बेचान बाबत बतचीत करने लगे वादी ने आवण्टन निरस्त बाबत कहा तो ऐलानिया धमकी दी कि मेरे नाम खातेदारी हो चुकी हश्अब मे जो चाहे से करू। दायरी दावे के लिए वाद कारण दिनांक 13/05/2015 को उत्पन्न हुआ, तथा वाद हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी है जो आवश्यक फरीक मुकदमा है इसलिए पक्षकार बनाया गया हे। वाद की सुनवाई व निस्तारण का अधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। वादी का वाद अन्दर मयाद व पूर्ण न्याय. शुल्क पर पेश है। वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं० 1080 रकबा 0.04 हे0 वाके ग्राम जयसिहंपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर की वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के, नाम से लोपित कर गे मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे, तथा इसका अंकन राजस्व रेकार्ड में कराया जावे ।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी तो प्रतिवादी हजीर अदालत जरिये वकील हरप्रीत एडवोकेट हाजीर आये व दिनांक 24.06.2019 तक जवाब दावा पेश नही किये जाने पर जवाब दावा बन्द किया जाकर साक्ष्य वादी में नियत किये जाने पर साक्ष्य वादी स्वयं का शपथ पत्र पेश होने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये दावा वादी डिक्री किया जाना जाहिर किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादी ने दावे के समर्थन में राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 28.06.2005 जमाबंदी संवत 2030–33 मिलान क्षेत्र नामान्तकरण संख्या 388 बतोर दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर किया व दावा, एवं दस्तावेज व साक्ष्य शपथ पत्र का परीक्षण किया गया तो साबिक आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 17 बिस्वा गे0 मु0 रास्ता रहा है जिसके हाल खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम जयसिंहपुरा में स्थित है साबिक आराजी खसरा नम्बर 232 वर्तमान खसरा नंबर 0.04 है0 वादी अर्सेदराज से रास्ते के रूप में काम लेता है व अपनी कृषि भूमि में जाने एवं कृर्षि कार्यो में उपयोग में लेता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा आवंटन **सहकार समिति** के समक्ष सदस्यों को बुलावे में रखकर वादग्रस्त खसरा नम्बर 1080 एवं 1267 दिनांक 04.06.2002 को आंवटित करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर राजस्व अपील अधिकारी के अपील करने राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2005 को खसरा नम्बर 1080 का आवंटन निरस्त कर दिया गया, उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष नामान्तकरण संख्या 388 दिनांक 02.12.2010 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में तस्दीक गलत रूप से कर दिया। जबकि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 232 रकबा 18 बिस्वा में मुमकिन रास्ता अंकित है, व हाल खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.04 है0 ओर खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.19 है0 बने। हाल खसरा नम्बर 1080 गैर

उपखण्ड अधिकारी
...(जयपुर)

मुमकिन रास्ते के ही परिवर्तित नम्बर है जिसे आवंटन योग्य नही माना जाकर खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.04 है0 आवंटन बहक लक्ष्मीनारायण रेस्पोडेंट की सीमा तक निरस्त किया जाता है इस प्रकार खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.04 है0 भूमि का अलॉटमेंट राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया तो उक्त खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.04 है0 का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में नही खोला जाना चाहियें था जिसे निरस्त किया जाकर व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी अधिकार लोपित किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील चाकसू की वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से लोपित किये जाने के आदेश दिये जाकर गे0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाकर गे0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.11.06 13:37:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: